



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062023-246736
CG-DL-E-22062023-246736

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 21, 2023/ज्येष्ठ 31, 1945

No. 364]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 21, 2023/JYAISHTHA 31, 1945

सङ्केत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2023

सा.का.नि. 453(अ).—केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा-अपेक्षित केन्द्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 232(अ), तारीख 28 मार्च, 2023 जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनसे उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिनको प्रारूप नियम से अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 29 मार्च, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप और सुझाव नहीं प्राप्त हुए थे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2023 है।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में नियम 95 के उप-नियम (1क) में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ सारणी ”

क्र. सं.	टायर का वर्णन	कार्यान्वयन की तारीख	
		चल प्रतिरोध, गीली पकड़	चल ध्वनि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मोटरयान में लगाये जाने वाले और एआईएस: 142 के अनुसार यथा प्रयोज्य सी1, सी2 और सी3 के अधीन आने वाले नई और विद्यमान डिजाइन के टायर	01 जनवरी, 2024	01 अक्टूबर, 2024

” [फा. सं. आरटी-11036/61/2021-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 289(अ), तारीख 13 अप्रैल, 2023 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th June, 2023

G.S.R. 453(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification number G.S.R. 232(E), dated the 28th March, 2023, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 29th March, 2023;

And whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Fourth Amendment) Rules, 2023.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in rule 95, in sub-rule (1A), for the TABLE, the following TABLE shall be substituted, namely:-

“TABLE

SI. No.	Tyre Description	Date of Implementation	
		Rolling Resistance, Wet Grip	Rolling Sound
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	New and Existing designs of tyres to be fitted on Motor Vehicles and falling under C1, C2 and C3 as applicable as per of AIS 142	1st January, 2024	1st October, 2024

” [F. No. RT-11036/61/2021-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 289(E), dated the 13th April, 2023.